2023 का विधेयक संख्यांक 81.

[दि कोस्टल एक्वाक्लचर अथारिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 उपधारा (1) में,— 2005 का 24

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(क) "जलकृषि निवेश" से जल और मृदा की गुणवता के अनुरक्षण और पलने वाले जीवों के विकास और बेहतर स्वास्थ्य या उसमें उपलब्ध अन्य जलीय जीवन के लिए तटीय जलकृषि में निवेश के रूप में उपयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री अभिप्रेत हैं, और इसमें बीज, उर्वरक, चारा, विकास पूरक, प्रोबायोटिक, पर्यावरण उपचारक और कीटाणुनाशक सम्मिलित हैं ;

(कक) "जलीय प्रतिचित्रण" से भू-स्थानिक तटीय क्षेत्र वितरण मानचित्र अभिप्रेत है जो तटीय जलकृषि के लिए संभावित और उपयुक्त क्षेत्रों को दर्शाता है;

(कख) "जलीय अंचलीकरण" से राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा धारणीय तटीय जलकृषि के लिए अधिसूचित विभिन्न प्रजातियों या तटीय जलकृषि की रीतियों के लिए स्थानिक योजना के अंचल अभिप्रेत हैं;

(कग) "प्राधिकरण" से धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(कघ) "जैव सुरक्षित सुविधा" से रोग कारित करने वाले रोगाणुओं से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जैव सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए जो ऐसे क्रियाकलाप के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट तटीय जलकृषि क्रियाकलाप करने वाला एक तटीय जलकृषि यूनिट अभिप्रेत है;

(कङ) "जैव सुरक्षा" से तटीय जलकृषि यूनिट के भीतर हानिकारक जीवों जिसके अंतर्गत वायरस और बैक्टीरिया भी है, के प्रारंभ या प्रसार के जोखिम के विश्लेषण, प्रबंध और रोकथाम और संक्रामक बीमारी के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए अपनाया गया कोई उपाय या रणनीति या एकीकृत दृष्टिकोण अभिप्रेत है;

(कच) "ब्रूड स्टॉक बहुगुणन केंद्र" से ऐसा तटीय जलकृषि क्रियाकलाप करने वाली एक तटीय जलकृषि यूनिट अभिप्रेत है जो केंद्रक प्रजनन केंद्र से ऐसे पश्च या किशोर लार्वा प्राप्त करती है, जो विनिर्दिष्ट रोगाणु मुक्त या विनिर्दिष्ट रोगाणु सहिष्णु या विनिर्दिष्ट रोगाणु प्रतिरोधी है या ऐसे अन्य पश्च या किशोर लार्वा प्राप्त करती है और रोग से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कठोर जैव सुरक्षा और निकट रोग निगरानी के अधीन इसका पालन-पोषण करती है;';

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(ग) "तटीय जलकृषि" या "तटीय जलकृषि क्रियाकलाप" से सीमेंट के कुंडों, तालों, बाडों, कठघरों, बेडों, आहातों में या अन्यथा तटीय क्षेत्रों के लवणीय या खारे जल में, नियंत्रित परिस्थितियों के अधीन यातों अंतरंङ्ग या बहि:रंग, वल्कमय जलचर, कोमल देहधारी प्राणी, फिनफिश, समुद्री शैवाल या किसी अन्य जलीय जीवन सहित मत्स्य जीवन के किसी भी चरण का पालन और फार्मिंग करना

अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत क्रियाकलाप जैसे ब्रूड स्टॉक, बीज, ग्रो आउट का उत्पादन सम्मिलित है, परंतु इसमें ताजा जल की जलकृषि सम्मिलित नहीं है;

(गक) "तटीय जलकृषि यूनिट" से ऐसी कोई सुविधा अभिप्रेत है जो तटीय जलकृषि या उससे जुड़े किसी संबद्ध क्रियाकलाप में लगी हुई है और इसमें केंद्रक जनन केंद्र, ब्रूड स्टॉक बहुगुणन केंद्र, अंडज उत्पत्तिशाला और फार्म सम्मिलित हैं;';

(iii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

1986 का 29

(घ) "तटीय क्षेत्र" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना में तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है और इसमें ऐसे अन्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(घक) "तटीय पर्यावरण" से तटीय क्षेत्र में भूमि और जल का क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत जीवित जीवों की पूरी प्रणाली और उसका भौतिक परिवेश सम्मिलित है;

(घख) "फार्म" से एक तटीय जलकृषि यूनिट अभिप्रेत है, जहां तालों, बाडों, कठघरों, बेडों, आहतों या अन्यथा में, तटीय क्षेत्रों के लवणीय या खारे जल में, नियंत्रित परिस्थितियों के अधीन वल्कमय जलचर, कोमल देहधारी प्राणी, फिनफिश, समुद्री शैवाल या किसी अन्य जलीय जीवन सहित मत्स्य की फार्मिंग की जाती है और इसमें नर्सरी पालन सम्मिलित है, परंतु इसमें ताजा जल की जलकृषि सम्मिलित नहीं है;

(घग) "अंडज उत्पत्तिशाला" से एक तटीय जलकृषि यूनिट अभिप्रेत है जो लवणीय या खारे जल में वल्कमय जलचर, कोमल देहधारी प्राणी, फिनफिश, समुद्री शैवाल या किसी भी अन्य जलीय जीवन सहित मत्स्य के प्रजनन और बीज उत्पादन की तटीय जलकृषि क्रियाकलाप करता है और इसमें नुप्ली और जीवित भोजन का पालन-पोषण भी सम्मिलित है, परंतु इसमें ताजा जल की जलकृषि सम्मिलित नहीं है ;';

(iv) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङक) "केंद्रक जनन केंद्र" से जैव सुरक्षित तटीय जलकृषि क्रियाकलाप पर चलाई जा रही तटीय जलकृषि युनिट अभिप्रेत है, जिसके पास घरेलू विनिर्दिष्ट रोगाणुमुक्त, विनिर्दिष्ट रोगाणु सहिष्णु और विनिर्दिष्ट रोगाणु प्रतिरोधी स्टॉक का उत्पादन करने के प्रयोजन के लिए, रोग कारित करने वाले रोगाणु से मुक्त स्थापन है;

(ङख) "प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है, जो तटीय जलकृषि के क्रियाकलाप के प्रचालन में लगा हुआ है;

(ङग) "स्वामी" किसी तटीय जलकृषि यूनिट के संबंध में निम्नलिखित सम्मिलित है—

(i) उसके विधिक उत्तराधिकारी या अभिकर्ता; और

(ii) प्रचालक, बंधकदार, अनुज्ञप्तिधारी जिसके अंतर्गत उप अनुज्ञप्तिधारी भी है या ऐसे तटीय जलकृषि यूनिट के वास्तविक कब्जे में कोई अन्य व्यक्ति;

(ङघ) "भेषजीय रूप में सक्रिय पदार्थ या रोगाणुरोधी अभिक्रमक" से प्राकृतिक रूप से होने वाले अद्र्ध सिंथेटिक या सिंथेटिक पदार्थ अभिप्रेत है जो वीबो सांद्रता में सूक्षम जीवों की वृद्धि को समाप्त करने या रोकने के रोगाणुरोधी क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है;';

(v) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

(ज) "विनिर्दिष्ट रोगाणुमुक्त" या "विनिर्दिष्ट रोगाणु प्रतिरोधी" अथवा "विनिर्दिष्ट रोगाणु सहिष्णु" से ऐसे रोगाणुओं से मुक्त, प्रतिरोधी या सहिष्णु अभिप्रेत है जो पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य रोगाणु द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, जो तटीय जलकृषि में प्रयुक्त अभ्यर्थी प्रजातियों के लिए विनिर्दिष्ट हैं;

(झ) "राज्य" में संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित है ।" ।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ग) में "समुद्र विकास विभाग" शब्दों के स्थान पर "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगें ;

(ii) खंड (घ) में, "पर्यावरण और वन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" शब्द रखें जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) में, "कृषि मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय" शब्द रखे जाएंग ;

(iv) खंड (च) में, "वाणिज्य मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे;

(v) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(चक) केन्द्रीय सरकार के मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ;" ।

धारा 7 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) यदि अध्यक्ष प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण का कोई अन्य सदस्य तथा अध्यक्ष और नामनिर्दिष्ट सदस्य दोनों की अनुपस्थिति में, उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।"।

नई धारा 7क का अंत:स्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"7क. (1) इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन प्राधिकरण समय-समय पर कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए यथावश्यक समितियों का गठन कर सकेगा । प्राधिकरण की समितियां

(2) प्रत्येक समिति ऐसे सदस्यों की संख्या से मिलकर बनेगी तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए ऐसे कार्यकलापों का निष्पादन करेगी, जैसा विहित किया जाए ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 9क का अंतस्थापन ।

"9क. (1) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के रूप में ऐसी श्रेणी का एक अधिकारी जो वह उचित समझे, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, नियुक्त कर सकेगी जो विहित की जाए ।

(2) सदस्य-सचिव प्राधिकरण के मुख्य कार्याकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा— प्राधिकरण का सदस्य सचिव ।

(क) प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन ;

(ख) प्राधिकरण के परामर्श से प्राधिकरण के कार्य कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव मांगना ;

(ग) प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कार्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण के कार्य उपयोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुसार विशिष्टतया उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की पर्याप्तता और लिए गए समय के संबंध में किए जाते हैं ;

(ङ) प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तथा बजट का निष्पादन ;

(च) केन्द्रीय सरकार और प्राधिकरण की समितियों के साथ समन्वय ;

(छ) सभी मामलों में प्राधिकरण का विधिक रूप से प्रतिनिधित्व ।

(3) सदस्य-सचिव, प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित के अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा,—

(क) पूर्व वर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को समाविष्ट करने वाली साधारण रिपोर्ट;

(ख) कार्य के कार्यक्रम ;

(ग) पूर्व वर्ष के लिए वार्षिक लेखे ; और

(घ) आगामी वर्ष के लिए बजट ।

(4) सदस्य सचिव, प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को साधारण रिपोर्ट और कार्यक्रम अग्रेषित करेगा और साधारण रिपोर्ट को प्रकाशित कराएगा ।

(5) सदस्य-सचिव, प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा ।

(6) सदस्य-सचिव, प्राधिकरण के सभी वित्तीय व्ययों का अनुमोदन करेगा और

केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण के क्रियाकलापों की रिपोर्ट भेजेगा ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "जलकृषि फार्मों" शब्दों के स्थान पर "तटीय जलकृषि यूनिट" शब्द रखें जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) और (ग) में, "फार्मों" शब्द के स्थान पर "यूनिट" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(घ) किसी तटीय जलकृषि यूनिट को, जो प्रदूषण कारित कर रही है, ऐसी यूनिट के अधिभोगी की सुनवाई के पश्चात् हटाने या ढहाने का आदेश देना;

(iv) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घक) जल अंचलीकरण और जल प्रतिचित्रण के लिए पर्यावरणीय रूप से धारणीय तटीय जलकृषि सहित, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसे कार्यक्रमों की योजना और निष्पादन के माध्यम से ऐसे क्षेत्र में, जो विहित किया जाए किसी तटीय जलकृषि की संख्या, प्रजातियों और पद्धति को विनियमित या प्रतिबद्ध करना;

(घख) तटीय जलकृषि या तटीय पर्यावरण के नुकसान की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए तटीय जलकृषि में प्रयुक्त प्रोबायोटिक्स, चिकित्सा और ऐसे अन्य निवेश सहित तटीय जलकृषि निविशकों के मानकों को नियत या अंगीकृत करना, सत्यापित, मानीटर, विनियमित या प्रतिषिद्ध करना;

(घग) बीमारी से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए जैव सुरक्षा और निकट रोग निगरानी के साथ ऐसी यूनिटों में कार्यान्वित किए जाने वाले तटीय जलकृषि क्रियाकलापों सहित तटीय जलकृषि निवेशों के मानकों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए नियत या अंगीकृत करना, सत्यापित, मानीटर, नियमित या प्रतिषिद्ध करना;

(घघ) तटीय जलकृषि यूनिट के बहिःस्राव के उत्सर्जन या निस्सारण के लिए मानक नियत या अंगीकृत करना ;

परंतु ऐसे स्रोतों के बहिःस्राव के उत्सर्जन या निस्सारण की क्वालिटी या संरचना को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न तटीय जलकृषि यूनिट के लिए भिन्न-भिन्न उत्सर्जन या निस्सारण मानक नियत किए जा सकेंगे;

(घङ) तटीय जलकृषि से संबंधित मामलों की बाबत सूचना एकत्रित करना और उसका प्रसार करना ;";

(आ) उपधारा (2) में, "फार्म" शब्द के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "यूनिट" शब्द रखा जाएगा;

धारा 12 का संशेधन ।

8. मूल अधिनियम धारा 12 में,—

(क) "भूमि, ताल, बाड़े या आहते" शब्दों के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "यूनिट" शब्द रखा जाएगा;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सूचना की अपेक्षा का प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं अधित्याग किया जा सकेगा, जैसा वह उचित समझे ;

परंतु यह और भी कि स्वामी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए निर्धारित किए गए, ढहाने के व्यय और पर्यावरण को नुकसान की लागत, यदि कोई हो का संदाय करने के लिए दायी होगा ।"।

नई धारा 12क का अंतःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय सामग्रियों का प्रतिषेध ।

"12क. प्राधिकरण किसी तटीय जलकृषि क्रियाकलाप में निम्नलिखित के उपयोग को आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगा,—

(क) ऐसे भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थ, रोगानुरोधी अभिकर्मक और अन्य सामग्री जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान कारित करे, जैसा कि विहित किया जाए; या

(ख) ऐसे पदार्थ, अभिकर्मक या सामग्री, जो खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं, को अंतर्विष्ट करने वाले जलकृषि निवेश।" ।

धारा 13 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(i) उपधारा (1) में "फार्म" शब्द के स्थान पर "यूनिट" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु प्राधिकरण सरकार द्वारा आबंटित या सौंपी गई भूमि पर तटीय जलकृषि यूनिट चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, ऐसी प्रक्रिया के अधीन और ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, किंतु यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से अनधिक के लिए जारी कर सकेगा ।";

(iii) उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) में "फार्म" शब्द, जहां कहीं वह आता है, "तटीय जलकृषि यूनिट"शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) ऐसे फार्म की दशा में, जिसमें दो हेक्टेयर से अधिक जलमग्न क्षेत्र और कोई अन्य तटीय जलकृषि यूनिट समाविष्ट है, तटीय जलकृषि से संबंधित कोई क्रियाकलाप आरंभ करने हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए उपधारा (5) के अधीन किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक प्राधिकरण का ऐसी जांच करना, जो वह ठीक समझे, के पश्चात् यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी तटीय जलकृषि यूनिट का रजिस्ट्रीकरण तटीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।"।

(v) उपधारा (8) में 16 दिसंबर, 2005 से,—

(अ) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या भू-आकृति लक्षणों वाले क्षेत्रों में कोई तटीय जलकृषि नहीं की जाएगी;

(ख) कोई तटीय जलकृषि, समुद्र की दशा में, सिवाय अण्डज उत्पत्तिशाला, केन्द्रक प्रजनन केन्द्र और ब्रूड स्टाक बहुगुणन केन्द्र के, गैर विकास क्षेत्र में तथा संकरी खंड़ी, नदियों और बैक वाटर की दशा में मध्यवर्ती क्षेत्र में नहीं की जाएगी ;

(ग) सिवाय समुद्री अतृण कृषि, पेन कृषि, राफ्ट कृषि और केज कृषि क्रियाकलाप के कोई तटीय जलकृषि, तटीय विनियमन जोन के भीतर संकरी खाड़ी, नदियों और बैक वाटर में नहीं की जाएगी :"।

(आ) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "उच्च ज्वार सीमा" से भूमि पर उस स्थान तक वह सीमा अभिप्रेत है, जिस तक वृहत ज्वार के दौरान अधिकतम जल सीमा पहुंचती है ;

(ii) "पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र", "भूआकृति लक्षण", "गैर विकास नहीं क्षेत्र", "मध्यवर्ती क्षेत्र", "तटीय विनियमन क्षेत्र", का वही अर्थ होगा जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन जारी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना में यथापरिभाषित उनका है।';

1986 का 29

(vi) उपधारा (9) में "फार्म" शब्द, जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर "यूनिट" शब्द रखा जाएगा ;

(vii) उपधारा (10) में,—

(क) "फार्म" शब्द, के स्थान पर "तटीय जलकृषि यूनिट" शब्द रखा जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु प्राधिकरण नवीकरण के लिए आवेदन करने में विलंब को रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के संदाय के अधीन रहते हुए उपमर्षण कर सकेगा ।" ;

(viii) उपधारा (11) में दोनों स्थानों पर "फार्म" शब्द, जहां वह आता है, के स्थान पर "तटीय जलकृषि यूनिट" शब्द रखे जाएंगे;

(ix) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जांएगी, अर्थात् :—

"(12) प्राधिकरण इस धारा के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, फेरफार, संशोधन या उपांतरण कर सकेगी ।

(13) इस अधिनियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के विरूपित या विकृत या खो जाने की दशा में, प्राधिकरण ऐसी फीस का और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संदाय करने पर अनुकृति प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा।"।

नई धारा 13क का अंतःस्थापन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अधिकारियों का प्राधिकार ।

"13क. (1) प्राधिकरण आदेश द्वारा किसी जिले में प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में मत्स्य सहायक निदेशक की पंक्ति से अन्यून समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने या ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिए, जो उस आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के भारत सरकार के उप सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को, अपील प्राधिकारी के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, उसमें फेरफार करने या उसे अपास्त कर सकेगा ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे हाजिर कराना ;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की किसी कार्यालय से अध्यपेक्षा करना ;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(ङ) किसी साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(5) न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील प्राधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।"।

1974 का 2

धारा 14 के स्थान पर नई धारा 14 तथा धारा 14क का प्रतिस्थापन ।

12.मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में तटीय जलकृषि करने के लिए शास्ति ।

"14. जहां कोई व्यक्ति, तटीय जलकृषि या पारंपरिक तटीय जलकृषि करता है या इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों या तदधीन जारी किन्हीं दिशानिर्देशों या अधिसूचनाओं के उल्लंघन में तटीय जलकृषि या पारंपरिक तटीय जलकृषि करना कारित करता है तो धारा 13क के अधीन प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित सभी या कोई कार्रवाई करेगा, अर्थात् :—

(क) तटीय जलकृषि यूनिट में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी कार्यकलाप का निलंबन या रोकना ;

(ख) नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शास्ति का अधिरोपण ;

(ग) किसी ढांचे का हटाना या ध्वंस करना ;

(घ) उस पर खड़ी फसल को नष्ट करना ;

(ङ) ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्द करना ।

क्रम सं.	तटीय जलकृषि/ प्रतिषिद्ध सामग्रियों का उपयोग	अपराध	शास्ति		
			पहली बार अपराध	दूसरी बार अपराध	तीसरी बार और पश्चातवर्ती अपराध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	फार्म	गैर-रजिस्ट्रीकरण	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या हेक्टेयर का भाग) के लिए दस हजार रुपए	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या हेक्टेयर का भाग) के लिए पंद्रह हजार रुपए	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या हेक्टेयर का भाग) के लिए बीस हजार रुपए
		गैर रजिस्ट्रीकरण से भिन्न अधिनियम के उपबंधों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या हेक्टेयर का भाग) के लिए पांच हजार रुपए	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या हेक्टेयर का भाग) के लिए दस हजार	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या हेक्टेयर का भाग) के लिए पंद्रह हजार

		अधिसूचनाओं का अननुपालन ।		रुपए	रुपए	
2	अण्डज उत्पतिशाला, ब्रूड स्टाक बहुगुणन केन्द्र, केन्द्रक प्रजनन केन्द्र या ऐसी अन्य तटीय जलकृषि यूनिटें ।	गैर-रजिस्ट्रेशन	पचास हजार रुपए	पचहत्तर हजार रुपए	एक रुपए	लाख
		गैर रजिस्ट्रीकरण से भिन्न अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं का अननुपालन	पच्चीस हजार रुपए	पचास हजार रुपए	एक रुपए	लाख
3	धारा 12क के अधीन प्रतिषिद्ध सामग्री का उपयोग ।	धारा 12क के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों का उल्लंघन ।	पचास हजार रुपए	पचहत्तर हजार रुपए	एक रुपए	लाख

अपील ।

14क. (1) न्यायनिर्णयन अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा :

परंतु अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् की गई किसी अपील को किंतु नब्बे दिन की अवधि से पूर्व ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से निवारित करने के पर्याप्त कारण थे ।

(2) इस धारा के अधीन कोई अपील, अपील प्राधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी ने अपील फाइल करने के समय जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, के अधीन संदेय शास्ति की रकम को जमा नहीं कर दिया हो :

परंतु इस निमित्त अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदन पर अपील प्राधिकारी का यदि यह मत है कि इस उपधारा के अधीन किया जाने वाला जमा अपीलार्थी को असम्यक् कठिनाई उत्पन्न करेगा तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे जमा करने को

या तो बिना किसी शर्त या ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना उचित समझे, छूट प्रदान कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् , जो वह ठीक समझे, और संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि कर सकेगा, उपांतरित कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा, और—

(क) यदि उपधारा (2) के अधीन शास्ति के माध्यम से जमा की जाने वाली राशि अपील प्राधिकारी द्वारा संदत्त किए जाने के लिए निदेश दी गई शास्ति से अधिक है तो ऐसी अधिक रकम का अपीलार्थी को प्रतिदाय कर दिया जाएगा ; या

(ख) यदि अपील प्राधिकारी शास्ति अधिरोपित करने के आदेश को अपास्त कर देता है तो शास्ति के माध्यम से जमा की गई संपूर्ण राशि का अपीलार्थी को प्रतिदाय कर दिया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

नई धारा 22क का अंतःस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

लागत के बकाया और शास्ति का भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाना ।

"22क. कोई लागत, जो शोध्य है और संदत्त नहीं है, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया गया है तथा कोई राशि, जिसका धारा 14 के अधीन शास्ति के रूप में वसूले जाने का निदेश दिया गया है कि ऐसी रीति में वसूली की जाएगी जैसे भू-राजस्व के बकाया की, की जाती है ।"।

धारा 24 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(खक) धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन समितियों के गठन की रीति ;

(खख) धारा 7क की उपधारा (2) के अधीन समितियों में व्यक्तियों की संख्या, उनके कृत्य और समितियों की निबंधन और शर्तें ;

(खग) धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन सदस्य-सचिव की नियुक्ति की रीति और नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ;

(खघ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (घक) के अधीन वह क्षेत्र जिसमें प्राधिकरण किसी तटीय जलकृषि संख्या, प्रजातियों और ढंग को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा ;

(खङ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (घख) के अधीन तटीय जलकृषि में उपयोग किए गए अन्य इनपुट ;

(खच) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (घग) के अधीन तटीय जलकृषि यूनिट के प्रमाणन, मानीटरी और विनियमन की रीति तथा जैव सुरक्षा के साथ तटीय जलकृषि कार्यकलापों को करने की रीति और तटीय जलकृषि यूनिटों में

रोगों से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए निकटता से रोग निगरानी ;

(ii) खंड (ङ) में "उस धारा के अधीन किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या आहाते" शब्दों के स्थान पर, "उस धारा के तीसरे परंतुक के अधीन यूनिट और पर्यावरण को नुकसान की लागत का निर्धारण करने की रीति"शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(चक) धारा 12 के तीसरे परंतुक के अधीन पर्यावरण को नुकसान की लागत के निर्धारण की रीति ;

(चख) धारा 12क के खंड (ख) के अधीन ऐसी अन्य सामग्री का प्रतिषेध, जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पंहुचा सकती है ;

(चग) धारा 13 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन प्रक्रिया और अवधि ;";

(iv) खंड (ञ) में "वाली फीस" शब्द के पश्चात् "उसके परंतुक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की फीस" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(v) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ञक) धारा 13 की उपधारा (12) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में फेरफार, संशोधन और उपांतरण करने की रीति ;

(ञख) धारा 13 की उपधारा (13) के अधीन अनुकृति प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए फीस और अनुदत्त करने की रीति ;

(ञग) धारा 14 के खंड (क) के अधीन किसी तटीय जलकृषि यूनिट में कार्यकलाप के निलंबन या रोकने की अवधि और रीति ;

(ञघ) धारा 14 के खंड (ङ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्द करने की अवधि और रीति ;"।

धारा 25 का संशोधन ।

15 .मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (घ) में "फार्म"शब्द के स्थान पर "यूनिट" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 27 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) या पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना में प्रतिषिद्ध कार्यकलापों से व्यौहार करने वाले पैरा के अंतिम उप पैरा के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और सदैव 19 फरवरी, 1991 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

1986 का 29

"परंतु इस पैराग्राफ में अंतर्विष्ट कोई बात तटीय जलकृषि को लागू नहीं होगी ।";

(ख) उपधारा (2) में "फार्म" शब्द का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 28 का अंतःस्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय उपबंधों और भूतलक्षी संशोधनों का विधिमान्यकरण।

"28. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन तटीय जलकृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है तब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) या पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,— 1986 का 29

(i) इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण अभिभावी और सदैव वैध रहेगा ;

(ii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन जारी तटीय विनियमन खंड अधिसूचना या द्वीप तटीय विनियमन खंड अधिसूचना के अधीन ऐसी तटीय जलकृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप अनुज्ञात कार्यकलाप रहेंगे ;

(iii) इस अधिनियम के अधीन जारी तटीय जलकृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए अनुदत्त सभी रजिस्ट्रीकरण लागू नियमों, विनियमों और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986के अधीन जारी अधिसूचनाओं के अधीन वैध अनुज्ञा होगी ।

(2) धारा 13 की उपधारा (1) के उपबंध और उपधारा (8) के उपबंध जैसा कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा 16 दिसंबर, 2005 से भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई है, का सभी प्रयोजनों के लिए सदैव प्रभाव समझा जाएगा मानो की वह सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त थी और तदनुसार,—

(i) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त उपबंधों के अनुसार तात्पर्यित या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात या उक्त उपबंधों के अनुसार की गई समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए वैध रूप से की गई समझी जाएगी मानो उक्त उपबंध सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त थे ;

(ii) उक्त उपबंधों के अनुसार की गईकिसी कार्रवाई या किसी कार्रवाई का लोप किए जाने के लिए कोई बात या अन्य कार्यवाहियां किसी न्यायालय में आरंभ नहीं की जाएंगी या रखी जाएंगी या जारी रहेंगी ; और

(iii) किसी भी न्यायालय द्वारा किसी तटीय जलकृषि कार्यकलाप को हटाने या बन्द करने या उससे संबंधित किसी ढ़ांचे को गिराने के लिए या उक्त उपबंधों के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या बात या न की गई बात के संबंध में कोई डिक्री या आदेश या निदेश का प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसे कि धारा 13 की उपधारा (1) के उपबंध तथा उपधारा (8) में किए गए संशोधन सभी तात्विक समय से प्रवृत्त रहे हों ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 को तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से संबंधित कार्यकलापों के विनियमन के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम का मंतव्य तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि की क्रमवार वृद्धि का संवर्धन करते हुए तटीय पर्यावरण का संरक्षण करना है । यह तटीय विनियामक जोन क्षेत्र के भीतर और उससे परे प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए तटीय जलकृषि के सतत प्रचालन को सुकर बनाता है । आज, तटीय जलकृषि लाखों कठोर मेहनत करने वाले छोटे किसानों और शिक्षित युवाओं, जो सरकार की नीति की सहायता से दो हेक्टेयर से चार हेक्टेयर के आकार की औसत भूमि में कार्य करने वालों की सफलता की एक प्रमुख कहानी है । झींगा उत्पादन वर्ष 2008-09 में 75 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में लगभग 10 लाख टन हो गया है । सीफूड निर्यात पंद्रह प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है और वर्ष 2021-22 में बढ़कर 57,586 करोड़ रुपए के रिकार्ड स्तर पर है, जिसमें ब्रैकिश जल झींगा की प्रमुख हिस्सेदारी है जो 42,706 करोड़ रुपए है ।

3. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ-साथ—

(क) इस बात की पुनरावृत्ति और स्पष्ट करने के लिए है कि तटीय जलकृषि और उससे संबद्ध कार्यकलाप तटीय विनियामक जोन अधिसूचनाओं के अधीन तटीय विनियामक जोन के भीतर अनुज्ञात कार्यकलाप हैं, उनका तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम के अधीन और न कि अन्य अधिनियमों के अधीन विनियमित होना जारी रहेगा ;

(ख) कारबार की सुगमता का संवर्धन करने के लिए अधिनियम के अधीन अपराधों का निरापराधिकरणकरना और तटीय जलकृषि प्राधिकरण की प्रचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, जिससे उन्हें पणधारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक क्रियाशील बनाया जा सके ;

(ग) केज कृषि, सीवीड कृषि, बाइ-वाल्व कृषि, समुद्री सज्जा मत्स्य कृषि और मोती सीप कृषि जैसे वातावरण अनुकूल तटीय जलकृषि के नए प्ररूपोंका संवर्धन करने के लिए है, जिनमें तटीय मछुआरा समुदायों विशेषकर मछुआरिनों के लिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन की संभावना है ;

(घ) इस सेक्टर में सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों को लाना, जिसके अंतर्गत तटीयकृषि क्षेत्रों काप्रतिचित्रण करना और अंचलीकरणकरना, गुणवत्ता आश्वासन और सुरक्षित जलकृषि उत्पाद है ;

(ङ) आनुवांशिक रूप से बेहतर और रोगमुक्त ब्रूड स्टाक और बीजों को तटीय जलकृषि में उपयोग करने के लिए उत्पादन करने के लिए समुद्री जल में सीधी पहुंच रखने वाले क्षेत्रों में सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देना ;

(च) तटीय जलकृषि में प्रति-जीवाणुओं और भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थों के उपयोग का निवारण जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

(छ) उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात, मार्गणीयता तथा बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धता और उद्यमशीलताका संवर्धन करना, जो पर्यावरणीय रूप से भरणीय रीति में तट के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आय, नियोजन और आर्थिक क्रियाकलापों में भरणीय रूप से वृद्धि करेगा ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उदद्श्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
29 मार्च, 2023

परशोत्तम रुपाला

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति के किसी व्यय को अंतर्वलित नहीं करते हैं ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 14 अन्य बातों के साथ मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है । उक्त खंड केन्द्रीय सरकार को समितियों के गठन की रीति ; समितियों में व्यक्तियों की संख्या, समितियों के कृत्य और उसके निबंधन और शर्तें ;सदस्य-सचिव की नियुक्ति की रीति और उसकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें; वह क्षेत्र, जिसमें प्राधिकरण किसी तटीय जलकृषि में प्रजातियों को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी तथा किसी तटीय जलकृषि की पद्धति ; तटीय जलकृषि में उपयोग किए गए अन्य इनपुट, तटीय जलकृषि इकाईयों के प्रमाणन, मानीटरी और विनियमन की रीति तथा जैव सुरक्षा के साथ तटीय जल कृषि कार्यकलापों को करने की रीति और तटीय जल कृषि इकाईयों में रोग से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए निकट रोग सर्वेक्षण ; पर्यावरण को नुकसान की लागत का निर्धारण करने की रीति ; ऐसी अन्य सामग्री का प्रतिषेद्ध, जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान कारित कर सकती है ; सरकार द्वारा आबंटित या समनुदेशित भूमि पर तटीय जल कृषि करने के लिए रजिस्ट्रेशन जारी करने की प्रक्रिया और अवधि ; रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए फीस ; रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन, संशोधन और उपांतरण करने की रीति ; अनुलिपि प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए फीस तथा उसको अनुदत्त करने की रीति ; किसी तटीय जलकृषि यूनिट में कार्यकलापों के निलंबन या रोकने की अवधि और रीति ; और रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्द करने की अवधि और रीति के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

2. वे विषय जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकते है, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 24) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्राधिकरण" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

* * * * * *

(ग) "तटीय जलकृषि" से तटीय क्षेत्रों में, तालों, बाड़ों और अहातों में नियंत्रित या अन्यथा दशाओं के अधीन लवणीय या खारे जल में श्रिम्प (चिंगर), झींगा, मछली या किसी अन्य जलीय जीव का पालन करना अभिप्रेत है; किन्तु इसके अंतर्गत ताजा जल में जलकृषि नहीं है;

(घ) "तटीय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में तत्समय तट विनियमन जोन के रूप में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य क्षेत्र भी है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(ङ) "सदस्य" से धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य-सचिव भी है;

* * * * * *

(छ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ।

* * * * * *

अध्याय 3

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना और अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति ।

4. (1) * * * * *

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(ग) एक सदस्य, जो तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जिसे केन्द्रीय सरकार के समुद्र विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(घ) एक सदस्य, जो पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जिसे केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य;

(च) केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य;

* * * * * *

7. (1) * * * * * प्राधिकरण के अधिवेशन ।

(2) यदि किसी कारण से, अध्यक्ष प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 4

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

11. प्राधिकरण के कृत्य—(1) धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) तटीय क्षेत्रों के भीतर जलकृषि फार्मों के सन्निर्माण और प्रचालन के लिए विनियम बनाना;

(ख) जलकृषि फार्मों का, तटीय जलकृषि द्वारा कारित उनके पर्यावरणीय प्रभाव को अभिनिश्चित करने की दृष्टि से, निरीक्षण करना;

(ग) तटीय जलकृषि फार्मों को रजिस्टर करना;

(घ) ऐसे किन्हीं तटीय जलकृषि फार्मों को, जो प्रदूषण कारित कर रहे हैं, फार्म के अधिभोगी को सुनने के पश्चात् हटाने या ढा़ देने का आदेश देना; और

* * * * * *

(2) जहां प्राधिकरण, उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन किसी तटीय जलकृषि फार्म को हटाने या ढा़ देने का आदेश देता है वहां उक्त फार्म के कर्मकार को ऐसे प्रतिकर का संदाय किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले केवल एक व्यक्ति वाले प्राधिकारी के माध्यम से कर्मकारों और प्रबंध-मंडल के बीच तय किया जाए और ऐसा प्राधिकारी ऐसे प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियों का, जो विहित की जाएं, प्रयोग कर सकेगा ।

12. इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण द्वारा इस निमित साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जहां कहीं इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर, किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश कर सकेगा, और— प्रवेश करने की शक्ति ।

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच कर सकेगा;

(ख) उसमें की किसी संरचना को हटा सकेगा या ढा़ सकेगा;

(ग) ऐसे अन्य कार्य या बात कर सकेगा जो विहित की जाए;

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते में, ऐसी जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते के अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटे पूर्व ऐसा करने के अपने आशय की लिखित रूप में सूचना दिए बिना प्रवेश नहीं करेगा ।

तटीय जलकृषि के लिए रजिस्ट्रीकरण ।

13. (1) इस धारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति तटीय क्षेत्र में तटीय जलकृषि या ऐसे परंपरागत तटीय जलकृषि फार्म में, जो उपधारा (9) में निर्दिष्ट तट विनियमन जोन के अंदर पड़ता है और नियत दिन को जिसका उपयोग तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, परंपरागत तटीय जलकृषि तब तक नहीं करेगा या नहीं कराएगा जब तक कि उसने अपने फार्म को, यथास्थिति, उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में प्राधिकरण के पास रजिस्टर न कराया हो ।

* * * * * *

(3) उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में किया गया रजिस्ट्रीकरण—

(क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा;

(ख) समय-समय पर उतनी ही अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा;

* * * * * *

(4) कोई व्यक्ति, जो तटीय जलकृषि करने का आशय रखता है, प्राधिकरण के समक्ष अपने फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ करेगा, जो उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए विहित की जाए ।

(5) प्राधिकरण, उपधारा (4) के अधीन फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, उस आवेदन पर विहित रीति से विचार करेगा और आवेदन पर विचार करने के पश्चात् या तो फार्म को रजिस्टर करेगा या आवेदन को नामंजूर कर देगा :

परन्तु प्राधिकरण आवेदन को, ऐसी नामंजूरी के कारणों को लेखबद्ध किए बिना नामंजूर नहीं करेगा ।

(6) प्राधिकरण, उपधारा (5) के अधीन फार्म को रजिस्टर करने के पश्चात्, उस व्यक्ति को, जिसने ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(7) ऐसे फार्म की दशा में जिसमें दो हेक्टेयर से अधिक जलमग्न क्षेत्र समाविष्ट है, तटीय जलकृषि से संबंधित कोई क्रियाकलाप प्रारंभ करने के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु किसी आवदेन पर उपधारा (5) के अधीन तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे फार्म का रजिस्ट्रीकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा ।

(8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई भी तटीय जलकृषि उच्च ज्वार सीमाओं से दो सौ मीटर के भीतर नहीं की जाएगी; और

(ख) कोई भी तटीय जलकृषि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन तत्समय घोषित तट विनियमन जोन के भीतर संकरी खाड़ियों, नदियों और अप्रवाही जलों में नहीं की जाएगी :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे तटीय जलकृषि फार्म की दशा में, जो नियत

दिन को विद्यमान है और सरकार के या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित या उसके द्वारा संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित गैर वाणिज्यिक और प्रयोगात्मक तटीय जलकृषि फार्म को लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि प्राधिकरण, पहले परंतुक के अधीन छूट प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर तटीय जलकृषि फार्मों की विद्यमानता और उनके क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इस धारा के उपबंध ऐसे पुनर्विलोकन को ध्यान में रखते हुए तटीय जलकृषि फार्मों को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "उच्च ज्वार सीमा" से भूमि पर ऐसी सीमा अभिप्रेत है जिस तक बृहत ज्वार के दौरान उच्चतम जल लहरें पहुंचती हैं ।

(9) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसा परंपरागत तटीय कृषि फार्म, जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ०114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा घोषित तट विनियमन जोन के भीतर पड़ता है और जिसका उपयोग नियत दिन को तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, प्राधिकरण के समक्ष, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उस फर्म का स्वामी है, ऐसे स्वामित्व का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके उपधारा (5) के अधीन रजिस्टर किया जाएगा जिसके न हो सकने पर ऐसे फार्म को उपधारा (5) के अधीन रजिस्टर नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसे फार्म का एक वर्ष के भीतर तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं करता है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया जाएगा ।

(10) ऐसा व्यक्ति, जिसका आशय उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में किए गए फार्म के रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत कराने का है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से पूर्व दो मास के भीतर विहित प्ररूप में विहित फीस के साथ प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा और प्राधिकरण, ऐसे आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करेगा और उस प्रयोजन के लिए उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए ऐसे फार्म से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर अपनी मुद्रा सहित प्रविष्टि करेगा ।

(11) यदि प्राधिकारण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, जिसका ऐसे रजिस्ट्रीकरण किया गया था, ऐसे फार्म का तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग करने में असफल रहा है या उसने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का या धारा 11 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अतिक्रमण किया है तो प्राधिकरण उपधारा (10) के अधीन फार्म के रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने से इंकार नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नियत दिन" से प्राधिकरण की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (10) और उपधारा (11) में प्रयुक्त, "रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करना" पद का यह अर्थ

लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण को और नवीकृत करना है ।

रजिस्ट्रीकरण के बिना तटीय जलकृषि करने के लिए दंड ।

14. यदि कोई व्यक्ति धारा 13 की उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई तटीय जलकृषि या परंपरागत तटीय जलकृषि करेगा या तटीय जलकृषि या परंपरागत तटीय जलकृषि कराएगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

24. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

* * * * * *

(ङ) वे नियम, जिनके अधीन रहते हुए, धारा 12 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उस धारा के अधीन किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश कर सकेगा;

* * * * * *

प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति ।

25. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

* * * * * *

(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन तटीय क्षेत्रों के भीतर तटीय जलकृषि फार्मों का सन्निर्माण और प्रचालन;

* * * * * *

विधिमान्यकरण ।

27. (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) में या पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की तारीख 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना सं० का० आ० 114 (अ), में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) पैरा 2 के उपपैरा (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंत:स्थापित किया जाएगा और यह सदैव 19 फरवरी, 1991 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(xiv) इस पैरा में अंतर्विष्ट कोई बात तटीय जलकृषि को लागू नहीं होगी ।"।

(2) उक्त अधिसूचना सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगी और सदैव ऐसे प्रभावी समझी जाएगी मानो इस धारा के पूर्वगामी उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कोई तटीय जलकृषि जो की गई थी या हाथ में ली गई थी अथवा जिसका किया जाना या हाथ में लिया जाना तात्पर्यित है, उक्त

अधिसूचना के उल्लंघन में नहीं समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए विधि के अनुसार ऐसे की गई और सदैव की जा रही समझी जाएगी मानो इस धारा के पूर्वगामी उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और पूर्वोक्त रूप में किसी बात के होते हुए भी और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई डिक्री या आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा किसी तटीय जलकृषि संबंधी क्रियाकलाप को हटाने या बंद करने का अथवा तद्धीन संबंधित किसी संरचना को ढ़ा देने का, जिसको, यदि इस धारा के पूर्वगामी उपबंध उन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहे होते तो हटाए जाने, बंद किए जाने या ढ़ा दिए जाने की इस प्रकार आवश्यकता नहीं होती, निदेश देते हुए दिए गए किसी निदेश के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी ।

*　　*　　*　　*　　*　　*